

General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ


सुमेर सिंह पुत्र नाहरमल उर्फ नाहरूराम वगैरह जाति मेघवाल निवासीगण नवलडी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू(राज.)	-बनाम-	रमेश नारनालिया पुत्र गोपीराम वगैरह जाति मेघवाल निवासीगण नवलडी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू(राज.)
--	--------	---

किस्म मुकदमा - दावा स्थायी निषेधाज्ञा

मु.नं. 207/2024


08.11.2024

दावा वादी की ओर से वकील मीनाक्षि सिंह ने पेश किया।  
प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर  
किया जाकर, प्रस्तुत सम्मन/तलबाना पर प्रतिवादीगण की तलबी  
जारी होकर आईन्दा दिनांक 18.12.2024 को पेश हो।


  
(जयसिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
नवलगढ

18/12/2024

उक्त के वकील काजी ने "Not  
Prus" का डिमा के लिखित उक्त  
खाति किया जाता है परपक्षी  
कोषल झुमर के उक्त से उक्त के  
उक्त तकनील जाहा दाखिल पाये

  
उपखण्ड अधिकारी  
नवलगढ (झुन्झुनू)

Note  
Prus

  
18/12/24